जे.पी.आर.5–856
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय मुख्य अभियंता (मुख्यालय)
कमरा नं. 231, विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर–302005
फोन नं. – 0141-2747040 फैक्स नं. 0141 – 2744803
ईमेल – c_comml@yahoo.com

क्र. जेपीडी/मुअभि. (एच.क्यू.)/अधी.अभि.(वा.)/सी–1/प्रे0 261 जयपुर, दिनांक– 01-05-2017

# आदेश

**विषयः– लम्बित सतर्कता जांच प्रतिवेदनों के अंतिम निस्तारण के संबंध में।**

लम्बित सतर्कता जांच प्रतिवेदनों के अंतिम निस्तारण हेतु स्थायी आदेश सं. 16/11ए दिनांक 25.10.2016 के द्वारा वी.सी.आर. भरने एवं उनके अन्तिम निस्तारण के संदर्भ में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये थे।

उपरोक्त विषय में तीनों डिस्कॉम्स के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में चर्चा की गई एवं दिनाक 31.03.2016 तक के लम्बित सतर्कता जांच प्रतिवेदनों के अंतिम निस्तारण के संबंध में एक योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित है :–

1. दिनांक 31.03.2016 तक की समस्त लम्बित वी.सी.आर की सूचना संकलित करके दिनांक 30.09.2017 तक यथा संभव उनका निस्तारण किया जावेगा।

2. परि. व संधारण शाखा से सम्बन्धित लम्बित सतर्कता जांच प्रतिवेदनों की सूचना संकलित करने के लिये वृत्त के प्रावैधिक सहायक जिम्मेदार होगें। वे अपने वृत्त की सूचना संकलित कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/अधीक्षण अभियन्ता (सतर्कता) को उपलब्ध करायेंगे। सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता (ओ.एण्ड वी.) अपने खण्ड से सम्बन्धित लम्बित वी.सी.आर की सूचना वृत्त के प्रावैधिक सहायक को उपलब्ध करायेंगे एवं अधिशाषी अभियन्ता (ओ.एण्ड वी.) लम्बित वी.सी.आर. के निस्तारण के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगें।

3. वृत्त के ए.टी.वी.एस– नोडल ऑफिसर वृत्त में सतर्कता शाखा की लम्बित वी.सी.आर. की सूचना संकलित कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/अधीक्षण अभियन्ता (सतर्कता) को उपलब्ध करायेंगे एवं उनका राजस्व निर्धारण स्वयं/संबंधित एटीवीएस अधिकारी से करवाकर, सम्बन्धित सहायक अभियन्ता (पवस) को उपलब्ध करायेंगे। सतर्कता शाखा से सम्बन्धित लम्बित जॉच प्रतिवेदनों के निस्तारण के लिये जिले के ए.टी.वी.एस.–नोडल ऑफिसर जिम्मेदार होगें।

4. विद्युत चोरी से सम्बन्धित सतर्कता जॉच प्रतिवेदन जिनकी एफ.आई.आर. दर्ज हो चुकी हैं, उनका निस्तारण सम्बन्धित थानाधिकारी दिनांक 31.08.2017 तक सुनिश्चित करेंगे।

5. दिनांक 31.03.2016 तक के विद्युत चोरी, दुरूपयोग एवं त्रुटिपूर्ण मीटर से संबंधित लम्बित सतर्कता जाँच प्रतिवेदनों **(सतर्कता शाखा से संबंधित)** के मामलों में राजस्व निर्धारण वर्तमान में पदस्थापित ए.टी.वी.एस. अधिकारी दिनांक 20.06.2017 तक करके सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। इसी प्रकार **प.व.स. शाखा** के लम्बित सतर्कता जांच प्रतिवेदनों के मामलों में राजस्व निर्धारण प.व.स. शाखा के वर्तमान में पदस्थापित सहायक अभियन्ता द्वारा किया जावेगा। सहायक अभियन्ता प.व.स. दोनों शाखाओं (सतर्कता एवं प.व.स.) की लम्बित वी.सी.आर. का राजस्व निर्धारण का नोटिस उपभोक्ताओं को दिनांक 30.06.2017 तक देना सुनिश्चित करेंगे।

6. <u>वाद के निस्तारण हेतु कमेटी का गठन :–</u>

दिनांक 31.03.2016 तक की विद्युत चोरी (उपभोक्ता एवं गैर उपभोक्ता), दुरूपयोग या त्रुटिपूर्ण मीटर से सम्बन्धित वी.सी.आर. जिनका राजस्व निर्धारण करके दिनांक 30.06.2017 तक नोटिस दिये गये है अथवा पूर्व में दिनांक 31.03.2016 तक की वी.सी.आर., जिनका राजस्व निर्धारण हो चुका है, परन्तु वसूली अभी तक नही हुई हैं, से असन्तुष्ट उपभोक्ताओं/गैर उपभोक्ताओं के वाद के निस्तारण हेतु अधीक्षण अभियन्ता (वृत) की अध्यक्षता में योजना अवधि (दिनांक 30.09.2017 तक) के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसके सदस्य निम्नानुसार होंगे :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | अधीक्षण अभियन्ता (वृत्त) | : | अध्यक्ष |
| 2. | सम्बन्धित अधिशाषी अभियंता (ओ.एण्ड. वी.) | : | सदस्य |
| 3. | वृत्त लेखाधिकारी | : | सदस्य |
| 4. | सतर्कता/ऑडिट/मीटर शाखा से सम्बन्धित अधिकारी (यदि राजस्व निर्धारण/जाँच उनके द्वारा की गई है) | : | सदस्य |

विद्युत चोरी (उपभोक्ता एवं गैर उपभोक्ता), दुरूपयोग या त्रुटिपूर्ण मीटर के जांच प्रतिवेदन के सम्बन्धित राजस्व निर्धारण से असंतुष्ट उपभोक्ता/व्यक्ति उपरोक्त कमेटी के समक्ष दिनांक 31.08.2017 तक राजस्व निर्धारण की 10 प्रतिशत राशि एवं पंजीयन शुल्क रू. 500/– जमा करवाकर, अपना वाद प्रस्तुत कर सकते हैं।

उक्त सभी प्रकार के प्रकरणों यथा उपभोक्ता एव गैर उपभोक्ता के चोरी के मामले, विद्युत दुरूपयोग के मामले एवं त्रुटिपूर्ण मीटर के मामलों का राजस्व निर्धारण निरीक्षण तिथि को प्रचलित नियमानुसार ही किया जावेगा। उपरोक्त कमेटी प्रकरण के निस्तारण में साक्ष्य व दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम होगी। इस योजना के अन्तर्गत गठित कमेटी एक माह में यथासंभव वाद का निस्तारण सुनिश्चित करेगी। उपरोक्त समिति दिनांक 30.09.2017 तक ही प्रभावी रहेगी।

यदि नोटिस अवधि में विद्युत चोरी के मामलों मे उपभोक्ता/गैर उपभोक्ता राजस्व निर्धारण राशि जमा नहीं कराते है अथवा वी.सी.आर. निस्तारण समिति के समक्ष आवेदन नही

करते है तो ऐसे मामलों में उनकी सम्बन्धित जाँच अधिकारी/सहायक अभियन्ता (पवस) दिनांक 30.09.2017 के पश्चात् एफ.आई.आर. दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त लम्बित वी.सी.आर पर की गई कार्यवाही की सूचना सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी वृत कार्यालय के माध्यम से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) को प्रत्येक माह की 07 तारीख तक संलग्न परिशिष्ट 'अ' में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

7. प्रोत्साहन राशि :–

इस योजना के अंतर्गत विद्युत चोरी (उपभोक्ता/गैर उपभोक्ता) के प्रकरणों में किये गये राजस्व निर्धारण/कमेटी द्वारा निर्धारित राशि की वसूली पर निगम को हुयी अतिरिक्त राजस्व वसूली के फलस्वरूप 20 प्रतिशत प्रशमन राशि (compounding amount) के समतुल्य विशेष प्रोत्साहन राशि वैधानिक दायित्व राशि की वसूली में से निर्धारण अधिकारी, नोडल अधिकारी, राजस्व/लेखा कर्मियों व पुलिस अधिकारियों/विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाना कर्मियों को परिशिष्ट–ब के अनुरूप नियमानुसार देय होगी।

इस योजना में दिनांक 31.10.2016 तक के लम्बित सतर्कता जांच प्रतिवेदनों का अन्तिम निस्तारण दिनांक 30.09.2017 तक यथासंभव हो जाना चाहिये।

संलग्न : परिशिष्ट–अ व ब

आज्ञा से

(ए.के. खण्डेलवाल)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
जयपुर डिस्कॉम, जयपुर

परिशिष्ट 'अ'

## DETAILS OF ASSESSMENT/REALIZATION/F.I.R. OF PENDING VCR'S CASES PRIOR TO 31.03.2016

**NAME OF CIRCLE:**

| S. NO. | NAME OF SUB-DIV. | NO. OF PENDING VCR'S | | NO. OF CASES IN WHICH ASSESSMENT MADE | NO. OF CASES IN WHICH NOTICE ISSUED | NO. OF CASES IN WHICH AMOUNT DEPOSITED | NO OF CASES IN WHICH CONSUMER APPROACHED TO VCR DISPOSAL COMMITTEE | NO OF CASES DIPOSED BY V.C.R. DISPOSAL COMMITTEE | NO OF CASES IN WHICH F.I.R. LODGED | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | THEFT | MISUSE/METER DEFECTIVE | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

परिशिष्ट–ब

## ILLUSTRATION SHEET REGARDING PAYABLE INCENTIVE ON THE RECOVERY AGAINST PENDING VCRs U/S. 135 OF E.A.2003

| Recipient | Proposed distribution of Payable incentive equivalent to 20% amount of compounding charges to be paid from the recovered provisional assessment/amount finalized by the committee (say incentive amount is Rs. 100) | |
|---|---|---|
| | **Without FIR** | **After FIR** |
| **(1) Vigilance/O&M personnel** | | |
| (i) Nodal Officer of ATVS/O&V/O&M* | 10 | 5 |
| (ii) Assessing Officer | 30 | 10 |
| (iii) Acctt./ARO/Jr.Acctt.* | 20 | 10 |
| (iv) Dealing Revenue staff of O&M sub div.* | 20 | 5 |
| (v) Monitoring Cell of Corporate Vig.office | 20 | 5 |
| **(2) Police personnel** | | |
| (i) Dy.S.P.(Vig.) | - | 5 |
| (ii) SHO, APTPS | - | 10 |
| (iii) I.O. of APTPS | - | 10 |
| (iv) sub-ordinate Police personnel of APTPS | - | 40 |

*** Entitlement of Incentive :-**

(i) Nodal Officer (ATVS) posted in circle will be entitled for the concerned VCRs of Vigilance wing and Nodal officer (O&V/O&M) will be entitled for the concerned VCRs of O&M wing.

(ii) Acctt./Jr.Acctt. of ATVS will be entitled for the concerned VCRs of Vigilance wing and ARO of sub-division will be entitled for the concerned VCRs of O&M wing.

(iii) Dealing Revenue staff of O&M sub-division will be entitled for the VCRs of Vigilance and O&M wing both.

****